



**उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की
आगरा जोन के अधीन**



आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, खुर्जा एवं हाथरस में व्यावसायिक सम्पत्तियों की

आवंटन/नीलामी



**आवंटन/नीलामी तिथि:
09-09-2019
समय:
प्रातः 11:00 बजे**

**:: नीलामी स्थल ::
ऑफिस कॉम्प्लेक्स (भू-तल), सेक्टर-13,
आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा**

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियाँ (रु. 1.00 करोड़ आरक्षित मूल्य तक)

सेक्टर संख्या/ब्लाक	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु. लाख में/प्र.व.मी.	निर्धारित टोकन धनराशि
कमलानगर योजना, आगरा					
एफ	दुकानें	(04 नग) एफ-958 / 6, 958 / 7, 958 / 1, 958 / 8	10.39 से 11.61	9.43 से 10.53 प्रति नग	95000.00 से 106000.00 तक
सिकन्दरा योजना, आगरा					
16	दुकानें	(02 नग) एस-4, एस-11	8.88 से 12.60	6.33 से 8.99 प्रति नग	63400.00 से 90000.00 तक
8	व्याव0 भूखण्ड	8 / कॉम-3 / 2 (कार्नर)	60.08	49280 / - प्र0व0मी0	296100.00
1	शॉपिंग प्लेट फार्म (चबूतरें)	(20नग) 1 / एस0ए0-1 (कार्नर), 1 / एस0ए0-2 से 1 / एस0ए0-20 तक	5.75 से 15.37	44800 / - प्र0व0मी0 से 49280 / - प्र0व0मी0	25800.00 से 75800.00 तक
फिरोजाबाद योजना, फिरोजाबाद					
4	यूटिलिटी भूखण्ड	4 / यूटी-1 (कार्नर)	76.11	36960 / - प्र0व0मी0	281400.00
4	यूटिलिटी भूखण्ड	4 / यूटी-2 (कार्नर)	66.75	36960 / - प्र0व0मी0	246800.00
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4 / सीएस-2, 4 / सीएस-4, 4 / सीएस-3, 4 / सीएस-5	67.95	33600 / - प्र0व0मी0	228400.00
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4 / सीएस-1	68.25	33600 / - प्र0व0मी0	229400.00
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4 / सीएस-6, 4 / सीएस-7, 4 / सीएस-8	66.75	33600 / - प्र0व0मी0	223300.00
4	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	4 / सीएस-9 (कार्नर)	41.72	36960 / - प्र0व0मी0	154200.00
कृष्ण विहार योजना, मथुरा					
2ए	नव विकसित व्यावसायिक, भूखण्ड	(01 नग) 2ए / सी-1 अनु0जा0	85.12	38080 / - प्र0व0मी0	324000.00
हाथरस योजना, हाथरस					
3	व्यावसायिक भूखण्ड	(03नग) कॉम-3 / 1 कॉर्नर, कॉम-3 / 3 कॉर्नर, कॉम-3 / 4	240.00	24640 / - प्र0व0मी0	592000.00
3		कॉम-3 / 2	192.80	22400 / - प्र0व0मी0	431000.00
3		कॉम-3 / 5	197.75	22400 / - प्र0व0मी0	442000.00
3		कॉम-3 / 6 कॉर्नर	237.44	24640 / - प्र0व0मी0	585000.00
ट्रांस यमुना फेस-1, आगरा					
ए	व्यवसायिक भूखण्ड	(01 नग) ए / कॉम-3	159.10	35840 / - प्र0व0मी0	570214.00
ट्रांस यमुना फेस-11, आगरा					
जी	व्यावसायिक भूखण्ड	(02 नग) जी / कॉम-4 (ओ.बी.सी, जी / कॉम-6 (सामान्य)	126.00	35840 / - प्र0व0मी0	451600.00

आगरा जोन के अधीन योजनाओं में 80.00 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक की आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

आवंटन द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियां (80 व0 मी0 तक एवं फ्लैट्स)

सेक्टर संख्या/ब्लाक	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिक्त सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री-होल्ड सहित) रु. लाख में/प्र.व.मी	निर्धारित टोकन धनराशि
सिकन्दरा योजना, आगरा ग्रीन इनक्लेव फ्लैट्स					
2सी	उच्च आय व0 फ्लैट (प्रथम तल)	(ब्लाक-A+B) (06 नग) ए-101, 104 से 108 तक। (08 नग) बी-101 से 108 तक।	113.41	59.08	295500.00
2सी	उच्च आय व0 फ्लैट (द्वितीय तल)	(ब्लाक-A+B) (08 नग) ए-201, 202, 203, 204, 205 से 208 तक। (08 नग) बी- 201 से 208 तक।	113.41	57.96	290000.00
2सी	उच्च आय व0 फ्लैट (तृतीय तल)	(ब्लाक-A+B) (06 नग) ए-302, 303, 305 से 308 तक। (08 नग) बी- 301 से 308 तक।	113.41	57.40	287000.00
2सी	उच्च आय व0 फ्लैट (चतुर्थ तल)	(ब्लाक-A+B) (05 नग) ए-404, 405 से 408 तक। (08 नग) बी-401 से 408 तक।	113.41	56.83	284500.00
2सी	उच्च आय व0 फ्लैट (पंचम तल)	(ब्लाक-A+B) (06 नग) ए-501, 502, 505 से 508 तक। (08 नग) बी- 501 से 508 तक।	113.41	56.27	281500.00
2 सी	उच्च आय व0 फ्लैट (छटवा तल)	(ब्लाक-A+B) (07 नग) ए-601, 603, 604 से 608 तक। (08 नग) बी-601 से 608 तक।	113.41	56.27	281500.00
खुर्जा योजना, खुर्जा					
3	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग) 3/356 (कार्नर)	97.86	14.85	74250.0
5	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग) 5/137	41.30	7.90	39500.00
5	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग) 5/174/1	47.24	9.22	46100.00
5	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग) 5/146	62.63	10.75	53750.00
3	दुर्बल आय वर्ग	(18/40, 01 नग) 3/281	41.30	8.47	42350.00
3	अल्प आय वर्ग भवन	(29/60, 02 नग) 3/403, 3/96	62.63	14.53	72650.00
नीलापी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियां (80 व0मी0 तक)					
सिकन्दरा योजना, आगरा					
4	अल्प आय वर्ग भवन	(01 नग) 751/4	83.88	22.87	115000.00
फिरोजाबाद योजना, फिरोजाबाद					
1	अ0आ0व0 भवन सं0-1/469 (कार्नर) के साथ लगी अतिरिक्त भूमि		15.68	18480/-	14500.00
ट्रान्स यमुना योजना, प्रथम चरण आगरा					
	अ0आ0व0 भवन सं0-ए-99 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि		33.28	17920/-	29900.00

नोट

- ⊙ आवंटित सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य पर आवेदक को शासनादेश के अनुसार आयकर/जी0एस0टी0 अलग से भुगतान करना होगा। नीलामी संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदक 11:00 बजे तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं। 11:00 बजे के बाद टोकन हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा। 11:00 बजे के बाद से आवंटन/नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। अतः आवेदक समय से टोकन प्राप्त कर लें।
- ⊙ अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-28 एवं सम्पत्ति प्रबन्धक की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार ट्रान्स यमुना योजना प्रथम चरण, आगरा में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या-ए-99 तथा फिरोजाबाद में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या -1/469 (कार्नर) के साथ लगी अतिरिक्त भूमि केवल उक्त भवनों के आवंटियों को ही नियमानुसार आवंटित की जायेगी।
- ⊙ सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात नियमानुसार कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। सम्पत्ति जहां है, जैसे है, के आधार पर आवंटित की जायेगी।
- ⊙ आवंटन सम्बन्धी आवेदन पत्र आवंटन/नीलामी की निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व तथा सीलडिड निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में प्राप्त की जायेगी।
- ⊙ भूमि मूल्य में परिवर्तन की स्थिति में तदनुसार सम्पत्ति का मूल्य देय होगा।

सामान्य नियम एवं शर्तें

- ⊙ समस्त सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- ⊙ सम्पत्ति आवंटन संबंधी आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं नीलामी में भाग लेने विषयक सीलडिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु0 100/- जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
- ⊙ सम्पत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- ⊙ आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत टोकन धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/NEFT के माध्यम से जो **“30प्र0 आवास एवं विकास परिषद”** के पक्ष में संबंधित नगर में भुगतान योग्य देय हो जमा कर टोकन प्राप्त करना/सीलडिड के साथ जमा करना होगा।
- ⊙ सम्पत्ति आवंटन/नीलामी संबंधी नियम शर्तों एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <https://www.upavp.in> से प्राप्त की जा सकती है।
- ⊙ नीलामी से निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों की बोली स्वीकृति के पश्चात परिषद विनियमों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ही कटौती की जायेगी।

संयुक्त आवास आयुक्त,
आगरा जोन



परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों
एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा
अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें-

1800-180-5333
(टोल-फ्री) **0522-2236803**

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में
प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

website: <http://www.upavp.com>; E-mail: upavp@sancharnet.in

